न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/73 **दायरा दिनांक : 28.04.2025**

उनवान

1. कल्याण सिंह आत्मज स्वर्गीय श्री रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
2. प्रेमसिंह आत्मज स्वर्गीय मानसिंह (मृतक प्रतिवादी संख्या 1), जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. विरेन्द्र सिंह आत्मज (तथाकथित) भंवर सिंह उर्फ गोविन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0 मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   - 1/1. अभय कुंवर पत्नी विरेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
   - 1/2. जयपाल सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
   - 1/3. रामपाल सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
   - 1/4. गोविन्द कुंवर पुत्री विरेन्द्र सिंह पत्नी भगवत सिंह, निवासी ग्राम बिशन्या, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश
   - 1/5. उर्मिला कुंवर पुत्री विरेन्द्र सिंह पत्नी नारायण सिंह सिसोदिया, निवासी ग्राम गुडभेली, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश
2. गजराज सिंह आत्मज (तथाकथित) भंवर सिंह उर्फ गोविन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
3. राजेन्द्र सिंह आत्मज (तथाकथित) भंवर सिंह उर्फ गोविन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
4. विक्रम सिंह आत्मज (तथाकथित) भंवर सिंह उर्फ गोविन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
5. श्रवण सिंह आत्मज (तथाकथित) भंवर सिंह उर्फ गोविन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
6. श्रीमती कृष्णा कंवर पत्नी (तथाकथित) भंवर सिंह उर्फ गोविन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
7. श्रीमती बेबी कुंवर पुत्री (तथाकथित) भंवर सिंह उर्फ गोविन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
8. श्रीमती मृदुला कंवर पुत्री (तथाकथित) भंवर सिंह उर्फ गोविन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
9. श्रीमती कीका कंवर पुत्री (तथाकथित) भंवर सिंह उर्फ गोविन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
10. विमल कुंवर पुत्री (तथाकथित) भंवर सिंह उर्फ गोविन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

11. लालसिंह आत्मज राम सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
12. मदनसिंह आत्मज राम सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0 मृतक जरिये कायम मुकामान :–
    12/1. शिवराज सिंह पुत्र स्वर्गीय मदन सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
    12/2. कीका कुंवर पुत्री स्वर्गीय मदन सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
    12/3. राधा कुंवर पुत्री स्वर्गीय मदन सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
    12/4. मुन्ना कुंवर पत्नी स्वर्गीय मदन सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
13. सुमेर सिंह आत्मज राम सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
14. भंवर कुंवर आत्मज राम सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
15. नारज कुंवर पुत्री राम सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
16. दशरथ कुंवर पुत्री स्वर्गीय मानसिंह (मृतक प्रतिवादी संख्या 1) जाति राजपूत, निवासी ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री रूपेश कुमार श्रृंगी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 10 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 15.10.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 46/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 10 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार में बहादुर सिंह आत्मज गोपाल सिंह राजपूत के खाते व कब्जे में गत बन्दोबस्त से पूर्व आराजी खसरा नं. 59 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नं. 169 रकबा 19 बिस्वा कुल 16 बीघा 2 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2018 से वाद वादीगण स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 10 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को एकपक्षीय रूप से लोक अदालत में निर्णीत फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर अपील अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय रूप से पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प पारापीपली में रखकर उभय पक्षकारान की सहमति के बिना ही दावे को अन्यथा रूप से गुणावगुण पर निर्णीत कर बिना किसी आधार व प्रमाण के दावा वादीगण एकपक्षीय रूप से डिक्री फरमाने में घोर कानूनी त्रुटि की है। जबकि यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोक अदालत में कोई भी प्रकरण उभयपक्षों की सहमति व राजीनामा के आधार पर ही निर्णीत किया जा सकता है। केवल नियमित वाद में विधिक प्रकिया के अनुसार ही किसी प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा सकता है। उक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में लोक अदालत में एकपक्षीय रूप से पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतया अवैध व गैर कानूनी होने से काबिल निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि उक्त वाद में प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वादी पक्ष को सम्मन तलबाने प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30.08.2016 से निरन्तर आदेशित किये जाने के बावजूद दिनांक 27.03.2018 तक भी वादी पक्ष द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलबाने पेश नहीं किये गये थे। इस प्रकार उक्त वाद में प्रतिवादीगण की तलबी नहीं हुई थी। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध एवं गैर कानूनी रूप से विधिक प्रकिया के विपरीत जाकर उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में एकपक्षीय रूप से गुणावगुण पर निर्णीत फरमाने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 10 द्वारा प्रस्तुत तथाकथित दस्तावेजात को वादी पक्ष द्वारा साबित किये बिना ही उक्त अप्रमाणित व अप्रदर्शित दस्तावेजात के आधार पर अवैध एवं गैर कानूनी रूप से एकपक्षीय रूप से दावा वादीगण डिक्री फरमाने में त्रुटि की है। वास्तविकता में वादीगण रेस्पोडेंट द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर मिथ्या एवं निराधार तथ्यों के आधार पर उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। बहादुर सिंह आत्मज श्री गोपाल सिंह के पुत्र का नाम गोविन्द सिंह था, भंवरसिंह नहीं था। वाद वर्णित आराजी कभी भी गोविन्द सिंह के कब्जे काश्त में नहीं रही थी। वास्तविकता में वाद वर्णित आराजी प्रतिवादीगण अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 11 लगायत 16 के दादा जी भंवर सिंह आत्मज करण सिंह जी के कब्जे काश्त में थी। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चले

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

आने तथा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनः ग्रहण अधिनियम 1952 के लागू होने के बाद श्री भंवर सिंह पुत्र करण सिंह जी के निरन्तर काबिज काश्त रहने के कारण उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 54 से खाता सरकार दर्ज कर श्री भंवर सिंह जी को शिकमी कृषक दर्ज कर उक्त भूमि गैर खातेदारी में दर्ज की गई है। उक्त नामान्तरकरण दिनांक 29.10.1961 को तस्दीक किया गया है। जिसे वादी पक्ष ने कभी भी चेलेन्ज नहीं किया गया है। श्री भंवर सिंह पुत्र करण सिंह अपने जीवनकाल तक उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त रहे तथा उनके स्वर्गवास के उपरांत उक्त भूमि उनके पुत्र रामसिंह व मानसिंह की गैर खातेदारी में दर्ज की गई तदुपरान्त रामसिंह जी के स्वर्गवास के उपरांत उनके वारिसान की गैर खातेदारी में दर्ज की गई। इस प्रकार उक्त भूमि से वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 10 व उनके पिता का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था और ना ही उनका उक्त भूमि में कोई हक एवं अधिकार तथा कब्जा था इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार व प्रमाण के महज वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 10 के मिथ्या अभिवचनों के आधार पर गैर कानूनी रूप से दावा वादीगण डिक्री फरमाने में त्रुटि की है। प्रतिवादीगण अपीलांट्स उक्त वाद को कन्टेस्ट करना चाहते है तथा अपनी ओर से समुचित प्रतिरक्षा तथा साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि वास्तविक तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट हो सके। इस कारण समुचित जवाबदेही व साक्ष्य के उपरांत वाद के गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं विधि संगत है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त फरमाया जावे बसूरत दीगर अपीलांट्स प्रतिवादीगण को उक्त प्रकरण में सुनवाई व जवाबदेही एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को उक्त निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) फरमाने की कृपा करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.04.2025 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

(श्रीराम रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ ही आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पहले बहादुर सिंह पुत्र गोपाल सिंह के खाते एवं जागीरदारी में थी। नामान्तरकरण दिनांक 20.10.1961 से भंवर सिंह पुत्र कंवर सिंह के काबिज होने से गैर खातेदारी में दर्ज हुई। रामसिंह, मानसिंह, भंवर सिंह के वारिसान एवं काबिज काश्त है। बहादुर सिंह के वारिसान ने 65 वर्ष बाद गोविन्द सिंह की तीसरी पीढ़ी ने धारा 88, 89 का दावा पेश किया। राम सिंह, मानसिंह ने 1973 में तहरीर निष्पादित की उस आधार पर हमें वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.06.2018 लोक अदालत पारापीपली कैम्प में एक तरफा निर्णय पारित किया है जबकि लोक अदालत में केवल पक्षकारों के राजीनामे के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2024 (1) पेज 267, आर.आर.टी. 2024 (1) पेज 67 एवं आर.आर.टी. 2024 (1) पेज 232 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.06.2018 की अपील माननीय न्यायालय में दिनांक 17.04.2025 में की है। अपील के मद नं. 10 पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त हुई किन्तु पटवारी हल्का का शपथ पत्र अपील के साथ पेश नहीं किया है। प्रेमसिंह का भूमि से कोई संबंध नहीं है इसलिए धारा 96 सी.पी.सी. पर अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। लोक अदालत के नोटिस सम्मन कल्याण सिंह को प्राप्त होने दिनांक 07.05.2018 को ही जानकारी हो चुकी थी। कब्जे के कम में कोई गिरदावरी पेश नहीं की है। प्रेम सिंह किस प्रकार से पीड़ित पक्षकार है यह अपील में अंकित नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे. 2021 पेज 687, आर.आर.डी. 1994 पेज 659, आर.आर. डी. 1990 पेज 545, आर.आर.डी. 2011 (एच.सी.) पेज 228, आर.बी.जे. 2022 पेज 645, आर.आर.डी. 1988 पेज 143 सी. की नजीरे उद्धरत की।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रार्थना पत्र एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय

(दीपक रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण कम 1 ता 10 द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम मकोडिया, तहसील गंगधार में बहादुर सिंह पुत्र गोपाल सिंह राजपूत के खाते एवं कब्जे में गत बंदोबस्त से पूर्व आराजी खसरा नं. 59 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नं. 169 रकबा 19 बिस्वा कुल 16 बीघा 2 बिस्वा आराजी नकल जमाबंदी संवत 2018 से 2021 के अनुसार स्थित है। विगत बन्दोबस्त में विवादित आराजी का खसरा नं. 59 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा का खसरा नं. 119 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा बना। नकल जमाबंदी संवत 2030 से 2049 के अनुसार बन्दोबस्त के बाद नई जरीब से रकबा कम हुआ है। साबिक खसरा नं. 169 रकबा 19 बिस्वा का क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता है इसका हाल नम्बर 248 रकबा 12 बिस्वा है। तत्कालीन तहसीलदार ने दिनाक 29.10.1961 को रिपोर्ट पटवारी को अस्वीकार करते हुए संवत 2015–16–17 में कब्जा भंवर सिंह का मानते हुए धारा 15 राजस्थान काश्तकारी कानून के अन्तर्गत इंतकाल नं. 54 संवत 2017 से खाता सरकार दर्ज कर भंवर सिंह को गैर खातेदार दर्ज कर दिया। जबकि पटवारी रिपोर्ट में इस आराजी पर रतन सिंह का कब्जा होना दर्ज किया है किन्तु वक्त तस्दीक इंतकाल नं. 54 इस रतन सिंह ने विवादित आराजी पर खातेदार बहादुर सिंह का ही कब्जा होना बताया है। खातेदार बहादुर सिंह का देहांत हो गया तथा उनके एक मात्र पुत्र भंवर सिंह उर्फ गोविन्द सिंह का भी देहांत हो गया है। वादीगण मृतक भंवर सिंह उर्फ गोविन्द सिंह के पुत्र, पुत्रियां एवं बेवा हैं तथा कानूनी वारिसान है। इंतकाल नं. 54 में दर्ज गैर खातेदार भंवर सिंह के देहांत के बाद यह विवादित आराजी मान सिंह व राम सिंह पिसरान भंवर सिंह के खाते में गलती से दर्ज कर दी गयी। राम सिंह गैर खातेदार की मृत्यु के बाद विवादित आराजी पर उसके वारिसान प्रतिवादीगण 2 लगायत 8 के नाम 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 1 के नाम 1/2 हिस्सा नकल जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के अनुसार दर्ज रिकार्ड है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

विवादित आराजी पर सदैव से वादीगण के पिता भंवर सिंह व उसकी मृत्यु के बाद वादीगण का निरंतर कब्जा चला आ रहा है। इंतकाल नं. 54 एक फिसकल एन्ट्री है जिससे अधिकार ट्रांसफर नहीं होते हैं। प्रतिवादीगण 1 ता 8 तथा उससे पूर्व उनके पिता भंवर सिंह ने कभी इस आराजी पर अधिकार नहीं चाहा है और न कभी वादीगण या उससे पूर्व उनके पिता भंवर सिंह व पितामह बहादुर सिंह के कब्जे बाबत् कोई उज्र किया है। वादीगण विवादित आराजी के खातेदार कृषक है तथा न्यायालय से इस बाबत् घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। अतः इंतकाल नं. 54 दिनांक 29.10.1961 अवैध एवं अबइनिशियो वोईड होने से निरस्त किया जावे। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण 1 ता 8 के नाम खारिज किये जाये। वादीगण का नाम विवादित आराजी पर बतौर खातेदार दर्ज किया जावे और खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी पर मदालखत मजाहमत न तो स्वयं करें, न अन्य से करवावे। पारापीपली अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत कोर्ट कैम्प पारापीपली में अपने निर्णय दिनांक 20.06.2018 से वाद वादिया स्वीकार करते हुए नामांतरण संख्या 54 दिनांक 29.10.1961 को खारिज किया तथा उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण 1 ता 8 का नाम कम करते हुए वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर तहसीलदार गंगधार व पटवारी हल्का को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखने के आदेश जारी किये गये।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार दिनांक 15.06.2016 को वादीगण रेस्पोडेंट कम 1 ता 10 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विवादित आराजी के सन्दर्भ में प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन नोटिस तलब करने हेतु आदेशित करते हुए पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.07.2016 नियत की गई। दिनांक 01.07.2016 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पारापीपली में पेश हुई। तामील नोटिस अप्राप्त है। तामील नोटिस मंगवाये जावे। पत्रावली दिनांक 26.07.2016 को पेश हो परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से दिनांक 01.07.2016 से पूर्व भी प्रतिवादीगण की तामील हेतु सम्मन नोटिस जारी होने की पुष्टि नहीं होती। दिनांक 01.07.2016 के पश्चात दिनांक 27.03.2018 तक पत्रावली विभिन्न तारीख पेशियों में वादी वकील द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलबाना पेश नहीं करने के कारण तलबाना पेश करने के आदेश में ही चलती रही। दिनांक 27.03.2018 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.04.2018 नियत की गई परन्तु दिनांक 17.04.2018 को पत्रावली में आदेशिका नहीं लिखी गई। सीधे ही दिनांक 20.06.2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प पारापीपली में रखते हुए प्रतिवादी अपीलांट की अनुपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद स्वीकार कर एकतरफा डिक्री जारी कर दी।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली की आदेशिका दिनांक 20.06.2018 पर विवादित आराजी के सन्दर्भ में राजस्व लोक अदालत कैम्प पारापीपली में वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए जो निर्णय पारित किया है उस पर उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं होने से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में उभयपक्षकारान की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है, जो लोक अदालत की भावना एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत है। राजस्व लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिनमें उभयपक्षकारान द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण के निस्तारण हेतु राजीनामा पेश कर प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रकरण का निस्तारण चाहा गया हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से राजस्व लोक अदालत पारापीपली में पक्षकारान के उपस्थित होने या राजीनामा प्रस्तुत करने के तथ्यों की पुष्टि नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत की भावना एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2018 एवं संशोधन दिनांक 15.01.2021 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर पुनः नये सिरे से तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.12.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा